राजस्थान-सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

फोन न0- 02965-275241

ई-मेल- sdmkushalgarh@gmail.com

पीठासीन अधिकारी – डा. मनोज खेमादा (R.A.S.)
प्रकरण संख्या – 12/2025

दायर दिनांक :– 23.05.2025
निर्णय दिनांकः– 11.06.2025

प्रार्थीगण

1. श्री कमला पिता दलसिंह जाति भील निवासी बस्सी तहसील कुशलगढ़ व अन्य।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार कुशलगढ़।
2. कोदर पिता सकु सिंगाड जाति भील निवासी बस्सी तहसील कुशलगढ़।
3. राजहींग पिता सकु सिंगाड जाति भील निवासी बस्सी तहसील कुशलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. **प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्रेयस कुमार भटट् उपस्थित**
2. **अप्रार्थी राजकीय पेरोकार उपस्थित**

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा के खसरा नम्बर 994/525, 995/488, 996/492 स्थित है व उक्त भूमि पर प्रार्थीगण खातेदार व काश्तकार काबिज है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नहीं है। खेतों के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नहीं होने से सभी को अपने–अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान नहीं है। हर समय खातेदार प्रार्थीगण व पडोसी खेत के खातेदारों को सीमा को लेकर परेशान करते रहतें है। सीमाज्ञान नहीं होने से प्रार्थीगण को पडोसी अपनी खातेदारी की भूमि के चारों तरफ पत्थर रोपकर जाली व तारबन्दी नही करने देते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ को तथ्यात्मक रिपोर्ट मय दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ के पत्रांक एफ ( )राजस्व/2025/131 दिनांक 05.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बस्सी के खाता संख्या 256 कुल किता 03 का कमला पिता दलिंग व अन्य 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। खसरा नम्बर 994/525, 995/488, 996/492 क्रमशः रकबा 0.2995, 0.1052, 0.4695 हैक्ट. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मौके पर बंटवारे की सहीं जानकारी नहीं होने से पडोसी खातेदार व प्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद की स्थिति होने से पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। उक्त पत्रावली में पडोसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है अगर पडोसी खातेदारों को उक्त पत्रावली में पक्षकार बनाया जाता है तो प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त होने में अत्यधिक विलम्ब होगा जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा प्रार्थीगण अपने खेत की सीमाज्ञान करवाने एवं पत्थरगढ़ी करवाने का पूर्ण अधिकार रखता है। अतः ग्राम ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा के खसरा नम्बर 994/525, 995/488, 996/492 क्रमशः रकबा 0.2995, 0.1052, 0.4695 हैक्ट. भूमि की पैमाईश हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को भू–मापक नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार कुशलगढ़ राजस्व मण्डल राज. अजमेर के नियमानुसार उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि की पैमाईश पडोसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करें।

आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी।

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner